भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 186

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 6 दिसम्‍बर, 2013/15 अग्रहायण, 1935 (शक) को दिया जाना है।

**उर्वरकों की काला बाजारी और उनकी कीमतों में वृद्धि**

186. श्री नरेश अग्रवाल:

क्‍या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या सरकार को उर्वरकों की बड़े पैमाने पर हो रही काला बाजारी और उसके कारण उर्वरकों के दामों में हो रही वृद्धि के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्‍या कदम उठाए जा रहें; और

(ग) सरकार के पास उर्वरकों की मांग और उनकी आपूर्ति के संबंध में राज्‍य-वार ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क) और (ख):** कुछ क्षेत्रों से कथित कालाबाजारी की रिपोर्टें मिली हैं। ऐसे मामलों में राज्‍य सरकार द्वारा कार्रवाई की जाती है। राज्‍य सरकारों को आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) 1985 के किसी प्रावधान का उल्‍लंघन किए जाने पर निवारक/दण्‍डात्‍मक कार्रवाई करने के लिए पर्याप्‍त अधिकार प्रदान किए गए हैं। कालाबाजारी कार्यकलाप एफसीओ का उल्‍लंघन है। राज्‍य सरकार दोषियों के अभियोजना सहित दण्‍डात्‍मक कार्रवाई प्रारंभ कर सकती है। दोष सिद्धि होने पर दोषी को ईसीए के अंतर्गत सात वर्ष की कैद दी जा सकती है इसके अलावा, प्राधिकार पत्र रद्द किया जाता है। एफसीओ के खण्‍ड 6 के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि डीलर परिसरों में स्‍टॉक की स्थिति तथा उर्वरकों की मूल्‍य सूची को दर्शाएं। उर्वरक विभाग ने राज्‍य सरकार को दोषी, यदि कोई हो, के खिलाफ उपयुक्‍त कार्रवाई करने के लिए उनके क्षेत्राधिकार के अधीन प्रवर्तन एजेंसियों को चुस्‍त-दुरुस्‍त बनाने की भी सलाह दी है।

-2-

 उपर्युक्‍त के अलावा, उर्वरक विभाग ने मुख्‍य सचिवों, गृह मंत्रालय को उनके क्षेत्राधिकार में प्रवर्तन एजेंसियों को सक्रिय बनाने के लिए समय-समय पर लिखा है ताकि उर्वरकों की कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। उर्वरक विभाग तथा कृषि और सहकारिता विभाग राज्‍य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ साप्‍ताहिक वीडियो प्रवर्तन के जरिए राज्‍य सरकारों को कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखने की सलाह दे रहा है और उन्‍हें संवेदनशील बना रहा है। इन मुद्दों को खरीफ और रबी 2013-14 मौसम के लिए कृषि आदानों के क्षेत्रीय सम्‍मेलनों के दौरान उठाया गया था जिसमें सभी राज्‍य के प्रतिनिधि शामिल थे।

 सरकार द्वारा निर्धारित यूरिया मूल्‍य में 01.04.2010 से 31.10.2012 तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तथापि, 01.11.2012 से यूरिया के अधिकतम खुदरा मूल्‍य में 50/- रु. प्रति मी.टन की वृद्धि की गई है जिससे यह बढ़कर 5360/- रु. प्रति मी.टन हो गया है (केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क, केंद्रीय बिक्री कर, प्रतिकारी शुल्‍क, बिक्री कर और अन्‍य स्‍थानीय करों के अलावा)।

 सरकार 1.4.2010 से फॉस्‍फेटयुक्‍त और पोटाशयुक्‍त (पीएण्‍डके) उर्वरकों पर पोषक तत्‍व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति का कार्यान्‍वयन कर रही है। जिसक अंतर्गत सभी राजसहायताप्राप्‍त पीएण्‍डके उर्वरकों पर उनमें निहित पोषक तत्‍वों के आधार पर राजसहायता की एक नियत राशि दी जाती है जिसका निर्णय वार्षिक आधार पर लिया जाता है। अधिकतम खुदरा मूल्‍य (एमआरपी) को उर्वरक कंपनियों द्वारा नियत किया जाता है।

 सरकार द्वारा अगले वर्ष के लिए एनबीएस की दरों पर निर्णय पीएण्‍डके उर्वरकों तथा इसकी कच्‍ची सामग्री के अंतर्राष्‍ट्रीय मूल्‍यों तथा विद्यमान विनिमय दर सहित सभी संगत तथ्‍यों पर विचार करने के बाद वर्ष की अंतिम तिमाही में लिया जाता है।

 पिछले दो वर्षों के दौरान पीएण्‍डके उर्वरक के मूल्‍य में वृद्धि पीएण्‍डके उर्वरकों के अंतर्राष्‍ट्रीय मूल्‍यों में उतार-चढ़ाव, भारतीय रुपए के मूल्‍यह्रास के कारण हुई, जो कि भारत सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान पीएंडके उर्वरकों पर राजसहायता के साथ-साथ पीएण्‍डके उर्वरकों के मूल्‍य कम हुए हैं।

 पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (नवंबर 2013 तक) के दौरान विभिन्‍न राजसहायता प्राप्‍त उर्वरकों की एमआरपी **अनुलग्‍नक-।** पर संलग्‍न है।

**(ग):** वर्ष 2010-11 से 2013-14 (अक्‍तूबर' 13 तक) के दौरान उर्वरकों की राज्‍य-वार आवश्‍यकता, उपलब्‍धता और बिक्री दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्‍नक-।।** पर संलग्‍न है।

\*\*\*\*\*